बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0–1/04–09–36–2024 पटना, दिनांक–

MJC No. 2989/2024 (CWJC No. 9190/2021 से ब्यूत्पन्न) रत्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.05.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध योग्यता के आधार पर पु0अ0नि0 रत्नेश कुमार को पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि से पुलिस निरीक्षक की कोटि में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) प्रदान किया जाता है। भविष्य में यदि इस मामले में LPA दायर किया जाता है तो यह आदेश LPA के फलाफल से प्रभावित होगा।

02. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्यधीन है।

03. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार से आच्छादित उक्त पदाधिकारी से इस आशय का न्यायिक शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा उनके विरूद्ध निगरानी/आपराधिक/फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ पत्र के उपरान्त ही संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का क्रियान्वयन करेंगे।

04. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित उक्त पदाधिकारी के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध निगरानी/फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगी।

05. कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित/रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

06. कार्यकारी प्रभार प्रदान करने की कार्रवाई विभागीय कार्यहित में इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आरक्षण संबंधी मामले में पारित न्यायादेशों के फलाफल एवं तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिपादित प्रावधानों से आच्छादित होगा एवं उक्त के संबंध में उक्त सरकारी सेवक का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

07. उक्त पदाधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

07/05/25

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

(13)

ज्ञापांक–पी0–1/04–09–36–2024/ 183 पटना, दिनांक– 07/05/2025

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. अध्यक्ष, क्षेत्रीय चयन पर्षद सह पुलिस उप–महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी, पी0–2 प्रशाखा, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना